न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेव सिंह हाडा

[illegible] /12

तारीख रजू– 12/06/12

[illegible] पत्नी बीरवल जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुरसिटी।
[illegible] जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुरसिटी

———— अपीलार्थीगण

बनाम

[illegible] पि0 बीरवल जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुरसिटी।
[illegible] नाबालिक ब–विलायत पिता खुद बीरवल जाति माली निवासी नौगांव तहसील [illegible]
[illegible] तहसीलदार,गंगापुरसिटी।

—————— रेस्पोण्डेण्टस

——————

निर्णय

दिनांक–02/09/2015.

[illegible] ने यह अपील तहसीलदार, गंगापुरसिटी ने ग्राम नौगांव के स्वीकृत किये गये [illegible] 974 दिनांक 31/01/2010 को निरस्त कर अपीलार्थीगण के नाम हाल खसरा [illegible] 0.28 हैक्टर, 1645 रकवा 0.28 हैक्टर, 1646 रकवा 0.52 हेक्टर कुल किता 3 [illegible] ग्राम नौगांव मे दीनदयाल मृतक के स्थान पर अपीलार्थीगण के नाम बहिस्सा [illegible] जाने एवं रेस्पो0 संख्या 3 के बालिग हो जाने पर व विलायत पिता खुद जो दर्ज [illegible] व विलायत पिता खुद शब्द निरस्त फरमाया जाने हेतु निवेदन किया है।

[illegible] प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई [illegible] न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 [illegible] उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। रेस्पो0 [illegible] से पेरोकार सरकार उपस्थित आयें व अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण [illegible] उभय पक्ष सुनी गई।

[illegible] वकील अपीलार्थीगण ने अपील मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क [illegible] दीनदयाल का इंतकाल दिनांक 23/05/07 को हो जाने के पश्चात उसकी [illegible] अपीलाधीन नामान्तरकरण कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना, बिना जॉच व तहकीकात किये [illegible] जानकारी किये बिना खिलाफ कानून स्वीकृत किया है जो निरस्तनीय है। विद्वान [illegible] ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि मृतक खातेदार दीनदयाल के माता व पिता [illegible] कि मृतक की चल व अचल सम्पत्ति को हासिल करने का हक व अधिकार हिन्दू [illegible] के अनुसार है परन्तु अदालत मातहत ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर [illegible] प्रावधानो का उलघन कर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जो निरस्तनीय है। [illegible] अपीलार्थीगण ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि खातेदार दीनदयाल अविवाहित [illegible] हुआ है व उसके माता पिता अपीलार्थीगण है तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के [illegible] सम्पत्ति का हिस्सा पहले माता पिता को मिलता है न कि भाईयो को। इस प्रकार [illegible] ने उत्तराधिकार की विधिवत जॉच किये बिना उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण [illegible] है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अदालत [illegible] अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावे।

[illegible] जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

[illegible] संख्या 4 की ओर से विद्वान राजकीय पेरोकार ने बहस मे तर्क दिया कि अपीलाधीन [illegible] बाद जॉच व नियमो के परिपेक्ष्य मे अदालत मातहत द्वारा स्वीकृत किया गया है जिसमे किसी [illegible] अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलार्थीगण निरस्त की जाकर अदालत मातहत द्वारा स्वीकार [illegible] अपीलाधीन नामान्तरकरण यथावत रखा जावे।

[illegible] की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली के अवलोकन करने के पश्चात यह [illegible] है कि नामान्तरकरण संख्या 974 वाके ग्राम नौगांव के कालम संख्या 16 मे पटवारी हल्का [illegible] 22/10/09 को यह रिपोर्ट अंकित की है कि खातेदार दीनदयाल पुत्र बीरबल के मृत्यु प्रमाण [illegible] पर गॉव मे जानकारी की तो खातेदार दीनदयाल अविवाहित व लाऔलाद फोत होना पाया [illegible] /09 को हल्का गिरदावर ने यह रिपोर्ट की है कि मुताबिक जमाबन्दी विरासत का अंकन सही [illegible] पर अदालत मातहत ने उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत किया है। वकील अपीलार्थीगण [illegible] कि अदालत मातहत ने बिना जॉच किये व अपीलार्थीगण को सुने बिना अपीलाधीन [illegible] स्वीकृत किया है उचित प्रतीत होता है क्योकि हिन्दू उत्तराधिकार विधि की धारा 8 वर्ग ए [illegible] नामान्तरकरण मे पालना नही हुई है जिसके अनुसार खातेदार दीनदयाल के ला–औलाद [illegible] उसकी चल अचल सम्पत्ति पर उक्त सूची के मुताबिक प्रथम अधिकार मृतक की माता को [illegible] जिसका इस प्रकरण मे अभाव है व नियमो के परिपेक्ष्य मे उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण [illegible] किये जाने से अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

[illegible] उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण [illegible] किया जाता है व तहसीलदार गंगापुरसिटी को निर्देशित किया जाता है कि हिन्दू उत्तराधिकार विधि [illegible] वर्ग ए के मुताबिक नामान्तकरण तस्दीक करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

[illegible] आज दिनांक 02/09/2015 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेव सिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर